प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 744 / 2022

अनवान : –

1. बुधराम पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ताराचन्द पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर (फौत)।
   1 / 1– इन्द्रो पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. भजनलाल पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री ताराचन्द जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 20/15/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 67 / 69 की कुल 9.5730है0 भूमि में से 1 / 5 हिस्सा व रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 13 / 31 की कुल 11.6850है0 भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि मृतक ताराचन्द पुत्र श्योनन्दराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक दादालाई सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ताराचन्द पुत्र श्योनन्दराम के नाम दर्ज है जो वादी का पिता है ताराचन्द पुत्र श्योनन्दराम का देहान्त हो चुका है। ताराचन्द पुत्र श्योनन्दराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 / 1 व प्रतिवादी स0 2 ता 3 है जो ताराचन्द पुत्र श्योनन्दराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 3 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग वाद भूमि वादी [illegible] प्रतिवादी 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:23:04 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की ताराचन्द पुत्र श्योनन्दराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी स0 1/1 व प्रतिवादी स0 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1/1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वाद के समर्थन में वादी द्वारा जमाबंदी रोही मौजा सुरपुरा जमाबंदी सम्वत 2073–2076 खाता स0 13/31 ईएक्सपी–1, जमाबंदी सम्वत 2071–2074 रोही मौजा ललानाबास दिखनादा खाता स0 67/69, वारिसानामा ईएक्सपी–3, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक ताराचन्द ईएक्सपी–4 आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 67/69 की कुल 9.5730है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 13/31 की कुल 11.6850है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि मृतक ताराचन्द पुत्र श्योनन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा वारिसानामा पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक ताराचन्द पुत्र श्योनन्द के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1/1 ता 3 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1/1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:23:04 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 67/69 की कुल 9.5730है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 13/31 की कुल 11.6850है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि मृतक ताराचन्द पुत्र श्योनन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ताराचन्द पुत्र श्योनन्द का नाम कलमजन किया जाकर दोनों खातो में वादी एवं प्रतिवादी स0 1/1 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रामगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:23:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 744 / 2022
अनवान : –
1. बुधराम पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ताराचन्द पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर (फौत)।
   1/1– इन्द्रो पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. भजनलाल पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री ताराचन्द जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 67 / 69 की कुल 9.5730है0 भूमि में से 1 / 5 हिस्सा व रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 13 / 31 की कुल 11.6850है0 भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि मृतक ताराचन्द पुत्र श्योनन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ताराचन्द पुत्र श्योनन्द का नाम कलमजन किया जाकर दोनों खातो में वादी एवं प्रतिवादी स0 1/1 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:23:04 IST
Reason: SelfAttested